Annexure-I

FROM-I

(For linear projects)

Government of Chhattisgarh

Officer of the District **Collector Korba (CG)**

--****--

No. / 2195 /LR/ 2019 Korba Dated :- 23/10/2019

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **38.04 acer of Revenue forest land / forest land** proposed to be diverted in favour of **P.I.U. Chhattisgarh Rular Road Devlopment Agency korba (C.G.), Korba** for **Hardibazar bypass road built length 11.76 K.M. C.C. road built** work in **Korba** district falls within jurisdiction of ***Ratija, Renki, Bamhinikona, Saraisingar, Utrada and Nevsa*** villages in **Pali** tehsils.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for **38.04 acer of Revenue forest land/forest land** area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committees and the District level Committee are enclosed .

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls : As above.

(Smt. Kiran Kaushal)
Collector
Korba (Chhattisgarh)
Collector
Korba (Chhattisgarh)

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, कोरबा (छत्तीसगढ़)

दिनांक :– 18/10/2019

//प्रस्ताव //

मेसर्स परियोजना कियान्वयन ईकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कोरबा (छ.ग.) के द्वारा वन मण्डल कटघोरा, अंतर्गत ग्राम रतिजा, रैंकी, अण्डीकछार, बम्हनीकोना, उतरदा एवं नेवसा में हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 38.04 एकड़ भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत् प्रमाण पत्र तथा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् चर्चा की गई।

उपरोक्त परियोजना निर्माण कार्य से प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन में किसी भी हितग्राही का वन अधिकार पत्र प्रभावित नहीं हो रहा है और न ही दिया जाना शेष है। प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन में प्रस्तावित भूमि पर कोई विलुप्तप्राय जनजाति समूह के सदस्य निवासरत नहीं है एवं न ही शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा जैसे अस्पताल, आंगनबाड़ी भवन, पाठशाला, इत्यादि प्रभावित हो रही है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांक F.No. 11-9/98-FC(pt.) दिनांक 3 फरवरी 2013 के द्वारा लिनियर परियोजना (सड़क, नहर, पाईपलाईन/आपटिकल बाईबर बिछाने, ट्रांसमिसन लाईन इत्यादि) के लिये भूमि व्यपवर्तन हेतु ग्राम सभा से छूट प्रदाय की गई है।

अतः आवेदक संस्था को वन मण्डल कटघोरा, अंतर्गत ग्राम रतिजा, रैंकी, अण्डीकछार, बम्हनीकोना, उतरदा एवं नेवसा में हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 38.04 एकड़ भूमि का गैर वानिकी कार्य बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही करने की दशा में अनापत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य
जिला वन अधिकार समिति
/अध्यक्ष, जिला पंचायत
जिला कोरबा (छ.ग.)
जिला पंचायत, कोरबा

सदस्य
जिला वन अधिकार समिति
/वन मण्डलाधिकारी, कोरबा
जिला कोरबा (छ.ग.)
वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल, कोरबा

सदस्य
जिला वन अधिकार समिति
/वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा
जिला कोरबा (छ.ग.)
वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

सदस्य
जिला वन अधिकार समिति
/सदस्य जिला पंचायत
जिला कोरबा (छ.ग.)
(पुष्पा सिंह कंवर)
सभापति
स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति,
जिला पंचायत कोरबा (छ. ग.)

सदस्य
जिला वन अधिकार समिति
/सदस्य जिला पंचायत
जिला कोरबा (छ.ग.)
(श्रीमती सेवती बाई रजक)
सदस्य,
जिला पंचायत – कोरबा,
क्षेत्र क्र. – 5, कटघोरा,
जिला – कोरबा (छ० ग०)

सचिव
जिला वन अधिकार समिति
/सहा. आयुक्त आदिवासी विकास
जिला कोरबा (छ.ग.)
सहा. आयुक्त आदिवासी विकास
जिला – कोरबा (छ.ग.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
/अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति
जिला कोरबा (छ.ग.)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 2019 / 4129 कटघोरा, दिनांक 28.06.19

12737
06-7-19

प्रति,

कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा)
जिला कोरबा (छ.ग.)

कार्या. कलेक्टर कोरबा
कलेक्टर
05 JUL 2019
अधीक्षक
शाखा भू अभिलेख

विषय : हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लम्बाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु अनापत्ति एवं FRA Certificate (नवीन प्रारूप अनुसार) प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ : 1. कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोरबा का पत्र क्र. / 1045 / भू.अ. / वन अधि. / 2018 दि. 14.06.18

2. परिक्षेत्र अधिकारी पाली का पत्र क्र.670 दि. 26.06.19

—— ::000:: ——

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि कार्यपालन अभियंता, सह–सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कोरबा छ.ग. द्वारा हरदीबाजार बायपास मार्ग निमार्ण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रेंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु मार्ग में आने वाली वन भूमि / राजस्व वनभूमि कुल रकबा 17.22 हे. पर गैर वानिकी प्रयोजन बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

परिक्षेत्र अधिकारी पाली द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। उनके प्रतिवेदनानुसार :–

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यवर्तन प्रस्ताव हेतु कलेक्टर कोरबा द्वारा नियमानुसार अनापत्ति दी जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।
2. उपरोक्त स्थल में व्यक्तिगत / सामुदायिक वन अधिकार पत्र नही दिया गया है।
3. उपरोक्त स्थल पर विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत नही है एवं शासन द्वारा संचालित सुविधा जैसे :– अस्पताल, आगनबाड़ी, भवन एवं पाठशाल इत्यादि नही है।

अतः आवेदित क्षेत्र का व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु कलेक्टर कोरबा द्वारा आवेदक विभाग को अनापत्ति एवं FRA प्रदाय किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

संलग्न : प.अ. का निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति।

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

क्रमांक / तक.अधि. / 2019 / 4130 कटघोरा, दिनांक 28.06.19

प्रतिलिपि

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, सह–सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

(1843)

vinay

T.O. 2019-20

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी पाली (सामान्य), जिला – कोरबा (छ.ग.)

क्र./ 670 दिनांक 26/6/2019

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

विषय :– हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लम्बाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु अनापत्ति एवं FRA Certificate नवीन प्रारूप अनुसार) प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/तक.अधि./2019/3913 दिनांक 20.06.2019

— 00 —

विषयांतर्गत में लेख है कि कार्यपालन अभियंता, सह–सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कोरबा छ.ग. द्वारा हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. ((व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु मार्ग में आने वाली वनभूमि/राजस्व वनभूमि कुल रकबा 17.22 हे. पर गैर वानिकी प्रयोजन बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनापत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. उपरोक्त स्थल का व्यक्तिगत/सामुदायिक वन अधिकार पत्र नही दिया गया है।
2. उपरोक्त स्थल पर विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत नही है एवं शासन द्वारा संचालित सुविधा जैसे अस्पताल, आंगनबाड़ी भवन, पाठशाला इत्यादि नही है।

उपरोक्त के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

संलग्न – प.स. का जांच प्रतिवेदन।

सही/-
वन परिक्षेत्र अधिकारी
पाली

पृ.क्र./ 671 दिनांक 26/6/019

प्रतिलिपि – उप वनमंडलाधिकारी, पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पाली

1088
26/06/19

कार्यालय ... अधिकारी पाली
क्र. 386 दिनांक 26/06/2019

मूलतः ... को सहमति एवं अनापत्ति ... जारी करने की अनुशंसा सहित अग्रेषित।

उप वनमण्डलाधिकारी
पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

2557
27.6.19

Latter 2019

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक /3536/अविअ/भू–अर्जन/2019 कटघोरा, दिनांक 02/08/2019

प्रति,

कलेक्टर
(भू–अभिलेख शाखा)
कोरबा

विषय :– **हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु अनापत्ति एवं FRA Certificate (नवीन प्रारूप अनुसार) प्रदाय करने बाबत्।**

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./1045/भू.अ./वन अधि./2019 कोरबा दिनांक 14.06.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि कार्यपालन अभियंता, सह–सदस्य सचिव, परियोजना कियान्वयन ईकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, कोरबा (छ0ग0) द्वारा हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण में आने वाली वनभूमि/राजस्व वनभूमि कुल रकबा 17.22 हेक्टेयर पर वन भूमि गैर वानिकी प्रयोजन बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु अनापत्ति प्रमाण एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 संशोधित 2012 के तहत् FRA Certificate (नवीन प्रारूप अनुसार) प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त पत्र के परिपालन में राजस्व एवं वन विभाग का संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन एवं दिनांक 19.07.2019 को खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की प्रस्ताव/अभिमत मूलतः संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा

पृ.क्रमांक/3537/भू–अर्जन/अविअ/2019 कटघोरा, दिनांक 02/8/2019

प्रतिलिपि :–

कार्यपालन अभियंता, सह–सदस्य सचिव, परियोजना कियान्वयन ईकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा

Nodal FRA
Put up
28/9/19